न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 27 / 2019

अपीलांट्स–

1. मोटाराम पुत्र चिमाराम
2. देवाराम पुत्र डूंगराराम
3. धनाराम पुत्र डूंगराराम
4. इमरती पत्नी डूंगराराम
5. रामूदेवी पत्नी उमाराम
6. सूराराम पुत्र उमाराम जाति जाट निवासी धनोड़ा तहसील रामसर जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. पोकरराम पुत्र चिमाराम
2. हेमाराम पुत्र चिमाराम
3. खेतूदेवी पत्नी मोडाराम
4. चुतराराम पुत्र मोडाराम
5. कमलादेवी पत्नी पेमाराम जाति जाट निवासी धनोड़ा तहसील रामसर जिला बाड़मेर
6. तहसीलदार रामसर जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 33 दिनांक 11.06.2018 जो तहसीलदार रामसर द्वारा न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट–धनोड़ा में पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री जगदीश चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री बांकाराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1 से 5 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट संख्या 6 प्रोफोर्मा पक्षकार।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निर्णय

दिनांक : 02.08.2021

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 17:56:30 IST
Reason: SelfAttested

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार रामसर के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 33 दिनांक 11.06.2018 न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट–धनोड़ा के विरूद्ध पेश की गई है।

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा धनोड़ा के खसरा नम्बर 154 रकबा 54 बीघा तथा खसरा नम्बर 135 रकबा 214 बीघा के खातेदारान पोकर, मोटा, हेमा पि0 चिमा 1/2 खेतुदेवी पत्नी मोडा, चुतराराम वल्द मोडा कमलादेवी पत्नी पेमाराम, डूंगरा पुत्र मगना रामुदेवी पत्नी उमाराम सुराराम गोदपुत्र उमाराम 1/2 कौम जाट सा0 देह ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 11.06.2018 को तहसीलदार रामसर के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि का बंटवाडा करने का निवेदन किया। इस पर तहसीलदार रामसर द्वारा पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 33 दिनांक 11.06.2018 पारित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को संशोधित प्रस्ताव के अनुसार रकबा सही दर्ज कर सही तरमीम करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 09.10.2019 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया। हस्तगत अपील के विचारण के दौरान रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 ने उपस्थित होकर इकबाली जवाब प्रस्तुत किया तथा अपील के तथ्यों की ताईद करते हुए अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर संशोधित प्रस्ताव के अनुसार रकबा सही दर्ज कर सही तरमीम किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्ता को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि तहसीलदार रामसर द्वारा पक्षकारान की खातेदारी भूमि के विभाजन पत्र स्वीकृति आदेश क्रमांक 33 दिनांक 11.06.2018 पारित करने में जल्दबाजी व उतावलेपन से गलत बंटवाड़ा प्रस्ताव भेजने की भूल की है जिससे अपीलांटगण का हक–हिस्सा प्रभावित हो गया है। अपीलांट्स के खेतों में से सड़क निकलने के कारण उक्त बंटवाड़ा में अंकित रकबा में अन्तर [illegible] है तथा मौकानुसार रकबा सही तय नहीं हुआ है। संशोधित [illegible] अनुसार अपीलांट संख्या 1 के हिस्से के खेत खसरा संख्या क्रमशः [illegible]/135 रकबा 29–00 बीघा के स्थान पर रकबा 25–03 बीघा एवं 35[illegible]/[illegible] रकबा 15–13 बीघा के स्थान पर रकबा 19–10 बीघा भूमि प्रस्तावित है। अपीलांट संख्या 2 से 4 के हिस्से

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 17:56:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

में पूर्व में खसरा संख्या क्रमशः 392/135 रकबा 28–13 बीघा के स्थान पर 21–03 बीघा एवं 389/135 रकबा 16–00 बीघा के स्थान पर 23–10 बीघा दर्ज की गई है। इसी प्रकार अपीलांट संख्या 5 व 6 के पूर्व प्रस्ताव में क्रमशः खसरा संख्या 390/135 रकबा 09–00 बीघा एवं खसरा संख्या 393/135 रकबा 35–13 बीघा के स्थान पर संशोधित प्रस्ताव के अनुसार खसरा संख्या 393/135 रकबा 38–12 बीघा हिस्से में आई है जो पूर्व के प्रस्ताव में मौका अनुसार सही रकबा दर्ज नहीं हुआ है। संशोधित प्रस्ताव के अनुसार खेत खसरा संख्या 135 में से 02–05 बीघा व खसरा संख्या 154 में से 01–04 बीघा कुल रकबा 03–09 बीघा भूमि सरकार को समर्पित की गई है। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व बंटवाड़ा के इकरारनामा पर पारित आदेश संशोधित प्रस्ताव के अनुसार सही रकबा दर्ज कर सही तरमीम योग्य है एवं पूर्व प्रस्ताव अपास्त योग्य है।

5. अपीलांट्स के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि हाल ही में हलका पटवारी से 7 दिवस पूर्व अपीलाधीन बंटवाड़े की नकल प्राप्त की तब ही उन्हें सही बात का ज्ञान हुआ। हलका पटवारी की इस भूल से पूर्व में प्रस्तावित बंटवाड़े के कारण किसी भी अपीलांट का अहित नहीं होना चाहिये और इस बात से सभी पक्षकार आज ही सहमत हैं। इस प्रकार से ज्ञान होने की तारीख से यह अपील अन्दर मयाद पेश है तथा जानबूझकर कोई देरी नहीं की गई है। इस हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर न्याय आपके द्वार में ग्राम धनोड़ा के खेत खसरा नंबर 135 व 154 का सही बंटवाडा व संशोधित प्रस्ताव अनुसार तरमीम किये जाने का आदेश फरमावें।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

6. अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 का इकबाली जवाब प्रस्तुत कर अपीलांट्स की अपील के तथ्यों की ताईद की गई तथा अपीलाधीन आदेश निरस्त कर अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स के हिस्सों का विभाजन संशोधित बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार पुनः तरमीम किये जाने में अनापत्ति प्रकट की।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 17:56:30 IST
Reason: SelfAttested

7. हमने उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है मौजा धनोड़ा के खसरा नम्बर 154 रकबा 54 बीघा तथा खसरा नम्बर 135 रकबा 214 बीघा के खातेदारान पोकर, मोटा, हेमा पि0 चिमा 1/2 खेतुदेवी

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

पत्नी मोडा, चुतराराम वल्द मोडा कमलादेवी पत्नी पेमाराम, डूंगरा पुत्र मगना रामुदेवी पत्नी उमाराम सुराराम गोदपुत्र उमाराम 1/2 कौम जाट सा0 देह के प्रार्थना–पत्र दिनांक 11.06.2018 पर तहसीलदार रामसर द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 33 दिनांक 11.06.2018 पारित किया गया। अपील के विचारण के दौरान अपीलांट्स व रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 ने उपस्थित होकर इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया तथा पूर्व में पारित अपीलाधीन बंटवाड़ा आदेश को निरस्त फरमाया जाकर संशोधित बंटवाड़ा अनुसार खेत खसरा संख्या 135 व 154 का सही बंटवाड़ा व तरमीम किये जाने का निवेदन किया। इस प्रकार उभय पक्ष की खातेदारी भूमि का विधिवत रूप से हक हिस्सा एवं मौका कब्जा अनुसार अपीलाधीन विभाजन नहीं होने से पक्षकारान के बीच अनावश्यक रूप से विवाद उत्पन्न हो गया है। पक्षकारान ने आपसी सहमति से संशोधित प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया है जिसे मौका कब्जा स्थिति अनुसार हलका पटवारी द्वारा तैयार किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामसर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में तकनीकी मानवीय भूल करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट संख्या 6 तहसीलदार रामसर द्वारा विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 33 दिनांक 11.06.2018 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार रामसर को संशोधित प्रस्ताव सहित इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 में यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए विभाजन की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 02.08.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 17:56:30 IST
Reason: SelfAttested

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)